बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 2 सत्र- 189वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 23.7.2018 ई.

माननीय कार्यकारी सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.50 अपराह्न तक

1. आसन से बधाई दिया जाना

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सभी नये माननीय सदस्यों का सदन में हार्दिक अभिनन्दन किया तथा नेता, विरोधी दल बनने के बाद पहली मर्तबा सदन में आने पर माननीया श्रीमती रावड़ी देवी का विशेष रूप से हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत किया।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका समर्थन विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने किया। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि

माननीय मुख्यमंत्री ने इस आशय की जानकारी उन्हें दी है और सरकार सुखाड़ की समस्या पर बात करेगी। सरकार चिंतित है और मुझे उन्होंने जानकारी दी है, मेरी उनसे बात हुई है कि मैंने सदन को स्थिति से अवगत करा दिया। सरकार क्या-क्या करने जा रही है, इसकी सूचना उन्होंने दी है। आपने अपनी बात रख दी।

माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार सहित सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों ने विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव का विरोध किया।

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मुख्य सचेतक, प्रतिपक्ष, श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 4, 5,16 एवं 22 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आसन के नियमन के उपरांत राजद एवं कांग्रेस के कतिपय माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर नारेबाजी करने लगे। आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि सरकार सुन रही है, यह जनहित का मामला है, इसलिए सरकार इसे संज्ञान में ले रही है, आपलोग अपने स्थानों पर कृपया बैठ जाएं। मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि अगर कोई त्रुटि होगी, तो आप इसे दिखवा लेंगे। आसन से हमने कहा कि सरकार इसपर विचार करेगी परंतु माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर चले जाएं।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 7, 8, 9, 10, 11 एवं 13 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 12, 14, 15 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 1 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप रिटायर्ड लोगों को जो संविदा के आधार पर रखते हैं तो अगर संभव हो तो पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौका दें। यह प्रश्न विचारणीय है। आप मंत्री हैं, आपको पावर है, आप सरकार हैं, इसलिए आप इसपर गंभीरता से विचार कीजिए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 13, 16, 18, 25 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 10 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप इसकी जांच करवा कर देख लीजिए। अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य कीजिए। इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि जैसा कहा गया, हम प्रधान सचिव से जांच करा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 13 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि अनागत के अंतर्गत यह प्रश्न है, इसलिए इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किया जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 15 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि यह सदन है और सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार है।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. श्री नीरज कुमार
3. श्री रामईश्बर महतो
4. श्री दिलीप कुमार चौधरी
5. श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा
6. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

(इस अवसर पर श्रीमती राबड़ी देवी, नेता, विरोधी दल, माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे, श्री मदन मोहन झा एवं श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा को छोड़कर राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आये तथा नारेबाजी करते हुए वहीं बैठ गये। इसका सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने विरोध किया।)

माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री रामईशवर महतो की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दे दीजिए, शून्यकाल समिति देखेगी।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आपकी सूचना ग्रहण कर ली गई, आप इसको दे दीजिए, इसको शून्यकाल समिति देखेगी, हम देखवा लेते हैं।

आसन के अनुरोध पर इस अवसर पर सदन वेश्म में बैठे हुए माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर वापस चले गये।

माननीय सदस्य, डा. रामचन्द्र पूर्वे ने शून्यकाल में माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा उठाये गये विषय का समर्थन किया जिसपर माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने कहा कि इसको संज्ञान में सरकार ले रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से रखें, सरकार इसका उत्तर देगी। सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी उन्होंने सदन को दी। माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने आसन से नियमन देने की कृपा की ठीक है, पूर्वे जी ध्यानाकर्षण में दे दीजिए, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, सरकार उत्तर देगी। इसको ध्यानाकर्षण में परिणत किया जाएगा।

5. औपचारिक कार्य

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति का 188वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखा गया एवं सदन की स्वीकृति प्राप्त की गई।

6. परिनियत कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का वित्तीय वर्ष 2015-16 (8वां) एवं 2016-17 (9वां) के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146 (3) के आलोक में अधिसूचित बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

7. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा द्वारा पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर एवं मसौढ़ी प्रखंड को जोड़ने वाली पुनपुन नदी पर पुल निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नन्द किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद द्वारा जमुई जिला के जमुई अंचल के मझवे बालू घाट से एक कि.मी. के अंदर अनियमित बालू स्टॉक किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विनोद कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, आप कृपया सचिव स्तर के पदाधिकारी की कमिटी बनाकर जांच करा लीजिए।

(अंतराल)

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के ग्राम-गंगवाड़ा नवटोली मुहल्ला के ऊपर से गुजरने वाले ग्यारह हजार वोल्ट के तार को हटाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, श्री शिव प्रसन्न यादव द्वारा सुपौल जिला के सुपौल प्रखंड अंतर्गत गणेशपुर ग्राम से सिराजपुर ग्राम तक मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत पथ निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री शैलेश कुमार ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के आलोक में नियुक्ति करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह यह नियमन देने की कृपा की गई कि मंत्री महोदय विभाग पर समीक्षा के बाद जो कार्रवाई करेंगे, मुझे उसकी सूचना देंगे। हम जरूरत समझेंगे तो प्रश्नकर्त्ता के साथ विभाग की बैठक बुलाकर एक माह के अंदर सरकार को कार्रवाई के लिए कहेंगे।

माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने इसपर कहा कि जबतक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, कोई नियुक्ति नहीं होगी।

7. माननीय सदस्य, श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल सूत मिल को चालू करने सहित औद्योगिक क्षेत्र के विकास के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर आसन की ओर से कहा गया कि इसका उत्तर कल होगा।

8. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा से डेवा चौक, गुरमीतमा, राजा पाकड़, खोरबनवा चौर होते हुए महुआ तक जाने वाली सड़क का पी. डब्ल्यू डी. विभाग अधिग्रहण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिलान्तर्गत दिनांक 22.12.2017 से बंद सासामूसा चीनी मिल को पुन: चालू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

3. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मदरसा, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान एवं पेंशन लागू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'प्रदेश के सभी पंचायतों में पंचायत भवन तथा प्रखंड मुख्यालय में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए सुव्यवस्थित शौचालय, बोरिंग सहित भवन निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह विहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'दरभंगा हवाई अड्डा से जनसुविधा के लिए पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई एवं बंगलोर शहरों के लिए हवाई जहाज परिचालन की व्यवस्था आरम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'कृषि प्रधान राज्य के कर्ज से दबे किसानों को राहत के लिए यू.पी. एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य के लघु और मंझोले किसानों का कर्ज माफ करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसरण में बिहार के एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को, बिहार की राजभाषा के सरकारी काम-काज के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर नगर पंचायत के वार्ड नं.-2, पंडितपुर अवस्थित स्नातक कॉलेज का नामकरण बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह राजगीर निवासी स्वर्गीय सुरेन्द्र प्रसाद तरुण के नाम करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री शिव प्रसन्न यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीवान जिला के महेन्द्रनाथ शिव मंदिर महेन्द्रार एवं उसके पोखर (झील) का पुनरुद्धार कर पर्यटन स्थल घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, श्री राम चन्द्र पूर्वे ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के नागरिकों के जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए राज्य में एक नया विभाग 'आनन्द विभाग'(Department of Happiness) का गठन करे।'

(प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।)

11. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'खगड़िया जिला के चौथम प्रखण्ड अंतर्गत रोहियार पंचायत के बंगलिया अवस्थित "मां कात्यायनी मंदिर' को पर्यटन स्थल का दर्जा दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

12. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के संबद्धता रद्द इंटर एवं डिग्री महाविद्यालयों को संबंधन देने पर पुनर्विचार करे।'

(सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।)

9. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

13. माननीय सदस्य, डा. सूरज नन्दन प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज श्रावणी मेला को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राजकीय श्रावणी मेला घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य (केन्द्र) स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन को पुनर्गठित करते हुए एक ही निदेशक के प्रशासन में करने की व्यवस्था करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

15. माननीय सदस्य, श्री संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु वर्ष 2012 में सम्पन्न टीईटी/एस.टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्ष 2019 में प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने के पूर्व करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'एन.एच. – 83 (एतवारपुर, गया-पटना रोड) से नन्दलाल छपरा होते हुए पटना-मसौढ़ी रोड तक बादशाही पईन पर सड़क निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'तुरहा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

18. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और अधीनस्थ महाविद्यालयों में भोजपुरी विषय की पढ़ाई कराये।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

19. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह विहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री महाविद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत महाविद्यालयों, जिनकी जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से पंजीकृत है, को आधारभूत संरचना के विकास हेतु सरकार सहयोग करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

20. माननीय सदस्य, डा. मदन मोहन झा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को छठे वेतन पुनरीक्षण का लाभ के साथ वेतन वृद्धि का भी लाभ दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

21. माननीय सदस्य, श्री रामईशबर महतो ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीतामढ़ी से पटना जं. भाया मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए जन-शताव्दी ट्रेन या अन्य ट्रेनों को चलाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री रामईशबर महतो उर्फ रामेश्वर कुमार महतो
2. श्री सच्चिदानन्द राय
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री मदन मोहन झा
5. प्रो. नवल किशोर यादव
6. श्री सोने लाल मेहता
7. श्री सुबोध कुमार
8. श्री राजेश राम
9. श्री राधाचरण साह
10. श्री रामचन्द्र पूर्वे

माननीय कार्यकारी सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 24.7.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

23/07/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 1202 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 23.7.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

23-7-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।